भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1670**

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

**बी.एड. पाठ्यक्रम की अवधि**

**†1670. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हाल ही में नियमित दो वर्षीय पाठ्यक्रम के बजाय एक वर्षीय बी.एड. डिग्री पाठ्यक्रम करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) 2014 में एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम को समाप्त करने और अब इसे पुनः शुरू करने का कारण क्या है; और

(घ) क्या 2028 तक बी.एड. पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के बहु-विषयक संस्थान बनने की अपेक्षा है और यदि हां, तो भविष्य में आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों सहित संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

**(क)से (ग):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 5.23 में उन शिक्षक छात्रों के लिए 1 वर्षीय बी.एड. शुरू करने का प्रावधान है, जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री के समकक्ष डिग्री पूरी कर ली है या जिन्होंने किसी विषय-विशेष में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उस विषय-विशेष में विषय शिक्षक बनना चाहते हैं। एनईपी, 2020 के अनुसरण में, एनसीटीई ने एनसीटीई विनियम, 2025 के मानदंड और मानक तैयार किए हैं और उन्हें दिनांक 20.02.2025 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा है। सार्वजनिक सूचना *https://ncte.gov.in/website/Regulation2025.aspx* पर उपलब्ध है।

(घ): जैसा कि एनईपी 2020 द्वारा अनिवार्य किया गया है, एनसीटीई विनियम 2025 के मसौदे में बी.एड. प्रदान करने वाले संस्थानों को वर्ष 2028 तक बहु-विषयक संस्थान बनाने की परिकल्पना की गई है। चूंकि एनसीटीई विनियम, 2025 मसौदा चरण में हैं, इसलिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

*****